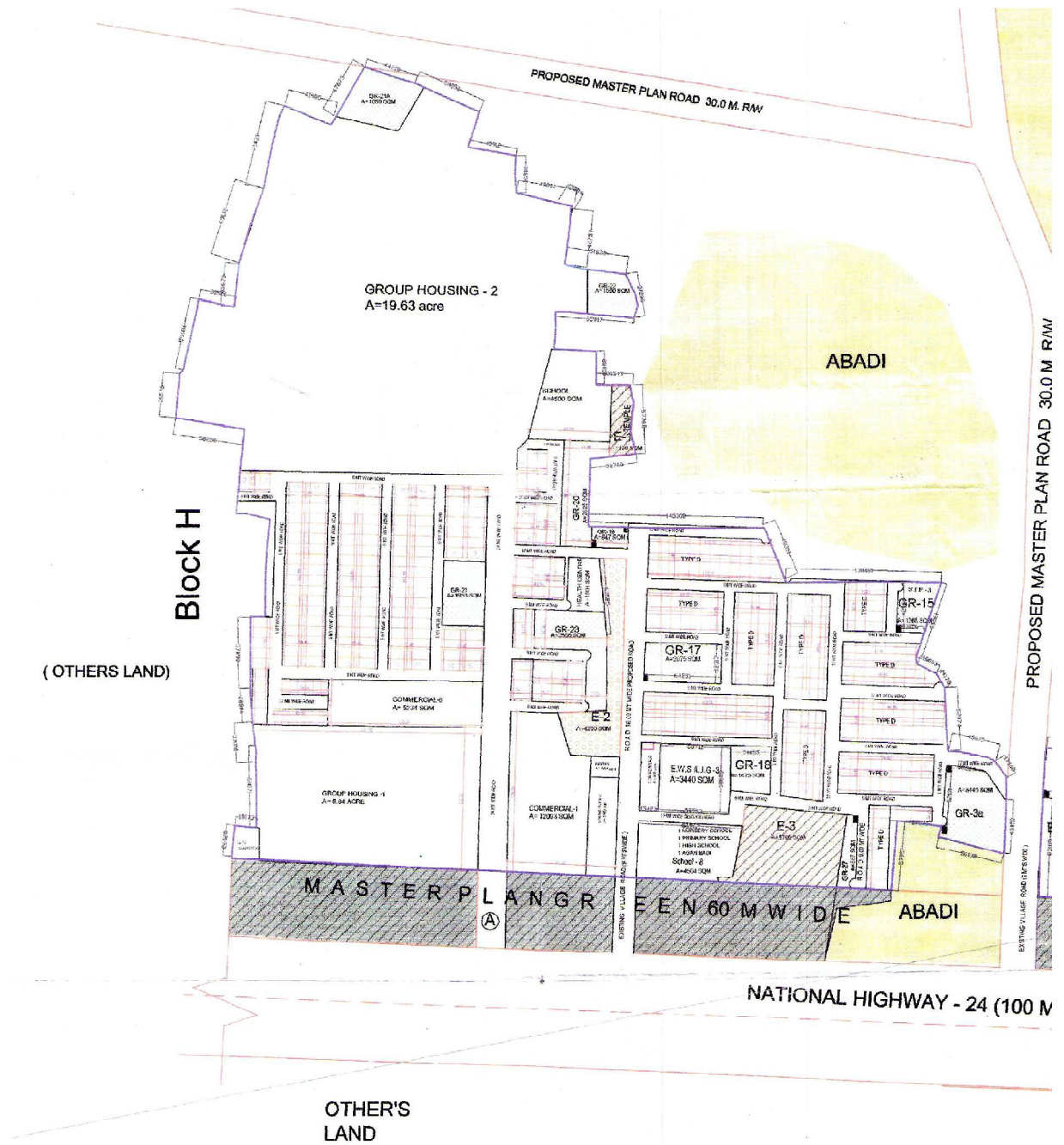






मानचित्र की स्वीकृति विकासकर्ता के स्वामित्ववादी भूमि पर ही दी गयी है। अन्य की भूमि को क्रेय करने तक अन्य की भूमि पर केवल लेण्डस्केप ही बना जायेगा।

समस्त सेवाओं के अभिकल्पन का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा।

बतौर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

बहालक अभियन्ता
वायव्य अनुभाग

बतौर अभियन्ता
वायव्य अनुभाग

स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

पर्यावरण की दृष्टि से राज्य वन नीति
अभिनियम के अन्तर्गत काम से का
पेड लगाना अनिवार्य है।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के अपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित / आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी
बोर्ड पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

WATER BODY